

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/(865)/2019/
दिनांक.-

आदेश

श्रीमती सागर बाई मीणा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कामां, भरतपुर को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्ताता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

- 1 दिनांक 24.08.2014 से 22.09.2014 तक 30 दिवस का उपार्जित अवकाश।
- 2 दिनांक 23.09.2014 से 24.10.2014 तक 32 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
- 3 दिनांक 25.10.2014 से 23.08.2015 तक 303 दिवस का असाधारण अवकाश।

६८-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक - ५/५/१९

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/(865)/2019/ 576

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कामां, भरतपुर।
- 3 प्र. नाचार्य, एनआईएमटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेटी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।
- 4 अधीक्षक, मानसिक विमदित महिला एवं बाल गृह जामडोली, जयपुर।
- 5 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय का विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 7 आदेश/रक्षित पत्रावली।

५

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर